न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी आर. के. मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 05/2022, प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण

उनवान

1. गुलाब पुत्र नारायण
2. भरतलाल पुत्र श्रीचन्द
3. भगवान सहाय पुत्र श्रीचन्द
4. रायकौर पत्नि श्रीचन्द
5. रामसिंह पुत्र कल्याण
6. प्रहलाद पुत्र कल्याण
7. हरसहाय पुत्र गिरधारी

समस्त जाति मीना निवासी ग्राम सिकराय तहसील सिकराय जिला दौसा।

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री रणजीतसिंह गोदारा आर. ए. एस. उपजिला कलक्टर सिकराय जिला दौसा।
2. राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार सिकराय जिला दौसा।

अप्रार्थीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पत्रावली विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी सिकराय पीठासीन अधिकारी रणजीतसिंह गोदारा प्रकरण उनवानी सरकार बनाम गुलाब आदि मु. नं. 19/2022

उपस्थित : श्री उमेश गौड अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।
: राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

:– निर्णय :– दिनांक 16.02.2022

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि तहसीलदार सिकराय द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय के यहां प्रकरण उनवानी सरकार बनाम गुलाब वगैरा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट उप जिला कलक्टर सिकराय की मिलीभगत व उनके आदेश दिनांक 17.1.2022 अन्तर्गत धारा 145 जा. फौ. सरकार बनाम घम्मन वगैरा में क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पारित फरमाया गया जिसकी आड में तहसीलदार सिकराय द्वारा असामाजिक तत्वों से सांठ गांठ कर प्रार्थना पत्र धारा 177 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट प्रस्तुत किया गया। श्री रणजीत सिंह गोदारा असामाजिक तत्वो से मिलकर उनको लाभ पहुंचाने की गरज से बदनियति पूर्वक आराजी खसरा नम्बर 1530 ग्राम सिकराय को सिवायचक भूमि घोषित करने पर आमादा है। जो कि उनके पूर्व पारित आदेश दिनांक 17.1.2022 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम घम्मन अन्तर्गत धारा 145 जा. फौ. से जाहिर होती है। पीठासीन अधिकारी श्री रणजीत सिंह गोदारा से न्याय की कोई उम्मीद नहीं होने के कारण उपखण्ड अधिकारी सिकराय के यहां विचाराधीन प्रकरण उनवानी सरकार बनाम गुलाब मु.सं. 19/2022 अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित फरमाने हेतु यह प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अति. जिला कलक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्र. सं. 05/2022, प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण

प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय से टिप्पणी प्राप्त की गई। बहस अधिवक्तागण उभयपक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी सिकराय के यहां प्रकरण उनवानी सरकार बनाम गुलाब वगैरा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट उप जिला कलक्टर सिकराय श्री रणजीत सिंह गोदारा की मिलीभगत व उनके आदेश दिनांक 17.1.2022 अन्तर्गत धारा 145 जा. फौ. सरकार बनाम घम्मन वगैरा में क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पारित फरमाया गया जिसकी आड में तहसीलदार सिकराय द्वारा असामाजिक तत्वों से सांठ गांठ कर प्रार्थना पत्र धारा 177 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट प्रस्तुत किया गया। प्रार्थीगण गुलाब व गब्दूराम द्वारा न्यायालय उप जिला कलक्टर सिकराय के यहां कैवियट प्रार्थना पत्र पूर्व से प्रस्तुत कर रखा था, जिसकी सूचना कैवियटकर्ता के अभिभाषक को उसके रजिस्टर्ड पतायुक्त लिफाफे पर जारी नहीं फरमाई गई। अप्रार्थी सं. 1 श्री रणजीत सिंह गोदारा असामाजिक तत्वों से मिलकर उनको लाभ पहुंचाने की गरज से बदनियति पूर्वक आराजी खसरा नम्बर 1530 वाके ग्राम सिकराय को सिवायचक भूमि घोषित करने पर आमादा है। जो कि उनके पूर्व पारित आदेश दिनांक 17.1.2022 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम घम्मन अन्तर्गत धारा 145 जा. फौ. से जाहिर होती है। श्री गोदारा द्वारा उनके क्षेत्राधिकार से परे हटकर तहसीलदार सिकराय को खसरा नम्बर 1529 व 1530 के सम्बन्ध में धारा 177 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की कार्यवाही करने के लिये निर्देशित फरमाया गया था। अप्रार्थी संख्या 1 श्री गोदारा द्वारा प्रार्थी व प्रार्थी के अधिवक्ता की अनुपस्थिति में नियत तारीख पेशी 9.2.2022 को बदलकर तारीख पेशी 31.1.2022 नियत फरमाई गई एवं तहसीलदार सिकराय द्वारा मृतक व्यक्ति के विरूद्ध प्रार्थना पत्र धारा 177 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट प्रस्तुत किया जिसमें एकपक्षीय रूप से प्रार्थीगण के अधिवक्ता को बिना सुने तहसीलदार सिकराय के मौखिक निवेदन करने पर मृतक सोमोती का नाम हजफ फरमा दिया गया। प्रार्थीगण को जानकारी होने पर प्रार्थीगण अप्रार्थी सं. 1 से मिले और उनसे निवेदन किया कि प्रार्थीगण के परिवार में मौत हो चुकी है और आपने नियत तारीख पेशी बदल दी है जिस पर श्री गोदारा नाराज हो गये एवं धमकी दी कि वो खसरा नम्बर 1529 व 1530 को सिवायचक घोषित करके रहेंगे जो मर्जी हो वो कर ले। इस प्रकार श्री गोदारा गलत तरीके से प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि को सिवायचक भूमि घोषित करने पर आमादा है एवं उनकी असामाजिक तत्वों से सांठ गांठ है। ऐसी सूरत में उक्त प्रकरण को किसी अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण कर सुनवाई किया जाना आवश्यक है। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा उपखण्ड अधिकारी सिकराय में विचाराधीन प्रकरण उनवानी सरकार बनाम गुलाब मु. सं. 19/2022 अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने का निवेदन किया गया।

अति. जिला कलक्टर
दौसा

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी सिकराय से तथ्यात्मक टिप्पणी प्राप्त हो चुकी है जिसके अनुसार प्रकरण अन्तर्गत धारा 177 आरटीए तहसीलदार सिकराय द्वारा दिनांक 24.1.2022 को पेश किया गया। जिस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादीगण द्वारा पत्रावली के तलबी स्तर पर होने पर ही स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र पेश कर दिया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत स्थानान्तरण भ्रमपूर्ण एवं तथ्यहीन है एवं प्रतिवादीगण इस प्रकार की शिकायतों के आदी है। प्रकरण में पूर्व में भी प्रार्थी द्वारा पीठासीन अधिकारियों के विरूद्ध प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश किये गये है जो खारिज किये जा चुके है। प्रकरण में उभयपक्षों को सुना जाकर ही विधिवत निर्णय किया जाना है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण तथ्यहीन, सारहीन होने के कारण खारिज किया जावे।

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी गुलाब मीना द्वारा दिनांक 25.1.2022 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण मुकदमे की प्रार्थी को नकल दिलाई जाकर जवाब के लिये समय देने का अधीनस्थ न्यायालय से निवेदन किया गया है। उपखण्ड अधिकारी सिकराय द्वारा इस न्यायालय को प्रेषित जवाब में प्रतिवादीगण द्वारा पत्रावली के तलवी स्तर पर होने पर ही स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र पेश कर दिया जाना जबकि प्रकरण में उभयपक्ष को सुना जाकर ही विधिवत निर्णय किया जाना व्यक्त किया गया है। ऐसी स्थिति में हम प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 19/2022 उनवानी सरकार बनाम गुलाब आदि को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरण करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी सिकराय को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्षकारान को सुनवाई एवं सबूत का पर्याप्त अवसर दिया जाकर विधिसम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार की जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(आर. के. मीना)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 16.02.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(आर. के. मीना)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा